संख्या-167/2016/279/22-2-2016-17(62)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2016***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी ग्राम-फहीमपुर, थाना-सिखेडा, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में हुई आनन्द पाल की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12-01-2000 को सायं लगभग 07:15 बजे देशी पिस्तौल बन्दूक, रिवाल्वर डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या की तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-343,344/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,452, 302/149 व 27ए के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट) मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 18-05-2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 13 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 01 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पूर्व में हुई आनन्द पाल की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ् मिलकर देशी पिस्तौल बन्दूक, रिवाल्वर डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या की तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल किया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रवीर (बन्दी संख्या-8243) पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-167/2016/279(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-167/2016/279@22-2-2016-17(62)/2016

दिनांक 26 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध चन्द्रवीर (बन्दी संख्या-8243) पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी ग्राम-फहीमपुर, थाना-सिखेडा, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में हुई आनन्द पाल की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12-01-2000 को सायं लगभग 07:15 बजे देशी पिस्तौल बन्दूक, रिवाल्वर डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या की तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-343,344/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,452, 302/149 व 27ए के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट) मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 18-05-2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 13 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 01 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पूर्व में हुई आनन्द पाल की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ् मिलकर देशी पिस्तौल बन्दूक, रिवाल्वर डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या की तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी चन्द्रवीर पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर की सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।